



2026:AHC: 176250-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

शासकीय अपील संख्या - 420 वर्ष 2024

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

बालेश्वर और 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

: ए. के. सैंड, आशुतोष कुमार सैंड

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:

न्यायालय संख्या- 43

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

आपराधिक प्रकीर्ण (अपील करने की अनुमति) आवेदन संख्या शून्य वर्ष 2024 पर आदेश

1. राज्य-अपीलार्थी के लिए विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम श्री जी.एन. कनौजिया को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. ऊपर उल्लिखित अपील करने की अनुमति का आवेदन अपीलार्थी को विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट, प्रथम, गौतम बुद्ध नगर श्री रण विजय प्रताप सिंह द्वारा सत्र विचारण संख्या 639 वर्ष 2019 (बालेश्वर और 8 अन्य), सत्र विचारण संख्या 643 वर्ष 2019 (राज्य बनाम कपिल उर्फ राणा), सत्र विचारण संख्या 642 वर्ष 2019 (राज्य बनाम नितेश उर्फ निट्टे), सत्र विचारण संख्या 640 वर्ष 2019 (राज्य बनाम कृष्णा), सत्र विचारण संख्या 644 वर्ष 2019 (राज्य बनाम बालेश्वर कटारिया) और सत्र विचारण संख्या 641 वर्ष 2019 (राज्य बनाम सुमित), जो थाना दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर में भा.द.सं. की धाराओं 147, 148, 302/149, 120-बी और आयुध अधिनियम की धारा 25/27 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 542 वर्ष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2019, 582 वर्ष 2019, 581 वर्ष 2019, 770 वर्ष 2019, 583 वर्ष 2019, 771 वर्ष 2019 से उत्पन्न हुए हैं, मैं पारित निर्णय और आदेश दिनांक 29.04.2024 के विरुद्ध पूर्वोक्त शासकीय अपील दाखिल करने के लिए अनुमति प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए दाखिल किया गया है।

3. अभियोजन का प्रकरण यह है कि 31.05.2019 को दोपहर लगभग 12:30 बजे सूचनादाता का भाई रामटेक अपने घर पर काम कर रहा था और उसके घर के सामने नाले की मरम्मत की जा रही थी। रामटेक नाले के पास खड़ा था तभी एक ऑल्टो कार और दो बाइक आई जिसमें बालेश्वर, राणा, अन्नू, कृष्णा, चंद्रपाल, निट्टे और कुछ अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। उन्होंने पिस्तौल से रामटेक पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और वह गिर गया तत्पश्चात वे हवा में फायरिंग करते हुए घटना स्थल से गायब हो गए।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष सात अभियोजन साक्षियों का परीक्षण किया गया जिन्होंने अभियोजन मामले को सिद्ध किया। पी.डब्ल्यू.-4, कुलदीप सिंह ने आपराधिक साजिश रचने का साक्ष्य दिया। विचारण न्यायालय ने विपक्षी संख्या 2, 3 और 4, अर्थात् अजय कटारिया, जय भगवान और सुमित को दोषमुक्त कर दिया।

5. पी.डब्ल्यू.-6 और पी.डब्ल्यू.-7 ने भी अभियोजन के प्रकरण का समर्थन किया और यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि दोषमुक्त किए गए विपक्षी संख्या 2, 3 और 4 इस मामले में साजिशकर्ता थे। इसलिए, अभियुक्तों को दोषमुक्त करने वाला विचारण न्यायालय का निर्णय अनुचित है और अपास्त किए जाने योग्य है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा है और प्रत्यर्थियों को गलत तरीके से दोषमुक्त किया है।

7. अपीलीय न्यायालय सामान्यतः किसी अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाले निर्णय में इस सिद्धांत पर हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक होता है कि अभियुक्त के पक्ष में बेगुनाही की उपधारणा ऐसे निर्णय से सुदृढ़ होती है। उपरोक्त सिद्धांत का संवैधानिक न्यायालय द्वारा लगातार पालन किया गया है, जब संविधान के अनुच्छेद 136 के माध्यम से दोषमुक्ति के विरुद्ध अपीलों या मध्य प्रदेश राज्य बनाम शरद गोस्वामी, 2021 17 एससीसी 783; राजस्थान राज्य बनाम शेराम, 2012 1 एससीसी 602, शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1973 2 एससीसी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



793 में द.प्र.सं. की धारा 378 और 386 (क) के अंतर्गत दाखिल अपीलों को निर्णीत किया जाता है।

8. रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य, 1996 9 एससीसी 225 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करके उसमें कोई व्यवधान डालने से पूर्व उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा उनकी दोषमुक्ति दर्ज करने के लिए दिए गए कारणों का परीक्षण करना चाहिए। स्पष्टता के लिए, प्रस्तर 7 नीचे उद्धृत किया गया है:

"आगे बढ़ने से पूर्व यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अपील से निपटने में उच्च न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत था क्योंकि उसने इस प्रश्न पर बिल्कुल विचार नहीं किया कि दोषमुक्ति का आदेश दर्ज करने के लिए विचारण न्यायालय ने जिन कारणों पर विचार किया था वे उचित थे या नहीं। इसके बजाय उच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए संपूर्ण साक्ष्य का एक स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन किया। इस न्यायालय ने बार-बार निर्धारित किया है कि केवल यह तथ्य कि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न कोई दृष्टिकोण साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन पर अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिक रूप से निकाला जा सकता है, दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए एक वैध और पर्याप्त आधार गठित नहीं कर सकता है जब तक कि यह इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि साक्ष्य से निपटने में विचारण न्यायालय का संपूर्ण दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अवैध था या उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष पूरी तरह से असमर्थनीय थे। किसी दोषमुक्ति पर निर्णय देते समय अपीलीय न्यायालय को सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की आवश्यकता होती है कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत, प्रकट रूप से त्रुटिपूर्ण या प्रदर्शित रूप से असमर्थनीय हैं। यदि अपीलीय न्यायालय उपरोक्त प्रश्न का नकारात्मक उत्तर देता है तो दोषमुक्ति के आदेश में व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए। इसके विपरीत, यदि अपीलीय न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह अभिनिर्धारित करता है कि दोषमुक्ति का आदेश उपरोक्त दुर्बलताओं में से किसी के दृष्टिगत बिल्कुल भी संपोषणीय नहीं है, तो वह - और केवल तभी - अपने स्वयं के निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हमें

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इसलिए पहले यह पता लगाना होगा कि क्या विचारण न्यायालय के निष्कर्ष संपोषणीय हैं या नहीं।"

9. साधु शरण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2016 4 एससीसी 357 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया है कि दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील हमेशा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील से बिल्कुल अलग स्तर पर रही है। दोषमुक्ति के विरुद्ध एक अपील में, जहां अभियुक्त के पक्ष में बेगुनाही की उपधारणा सुदृढ़ होती है, अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप करेगा जब कोई विकृति हो।

10. बशीरा बेगम बनाम मोहम्मद इब्राहिम, 2020 11 एससीसी 174 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त को सभी उचित संदेहों से परे दोषी सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। यदि, साक्ष्य के विश्लेषण पर, दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक जो अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करता है और दूसरा जो अभियुक्त के दोष के साथ असंगत है, तो बाद वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। निर्णय को पलटने और अभियुक्त की दोषसिद्धि और दोषमुक्ति के आदेश में सामान्यतः तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ऐसा उलटाव/दोषमुक्ति विकृति से दूषित न हो। दूसरे शब्दों में, न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को उलट सकता है यदि न्यायालय यह पाता है कि विधि में उचित रूप से निर्देशित कोई भी व्यक्ति, अभिलेख पर साक्ष्य के विश्लेषण पर, अभियुक्त को "दोषी नहीं" नहीं पा सकता था। जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करता है, तो अपराध के लिए हेतु सिद्ध करना आवश्यक है। हालांकि, जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य हो वहां हेतु सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस वाद में, अपराध का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।

11. काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 1973 2 एससीसी 808 के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी किया है:

"25. आपराधिक वादों में न्याय प्रशासन के ताने-बाने से होकर गुजरने वाला एक और सुनहरा धागा यह है कि यदि प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो अभियुक्त के पक्ष में जो दृष्टिकोण अनुकूल हो उसे अपनाया जाना चाहिए। इस सिद्धांत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की उन वादों में विशेष प्रासंगिकता है जिनमें अभियुक्त का दोष परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा स्थापित करने का प्रयास किया जाता है।"

12. ओडिशा राज्य बनाम बनबिहारी महापात्रा और अन्य, 2021 15 एससीसी 268 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील के वादों में दो दृष्टिकोणों की संभावना के प्रभाव का फिर से परीक्षण किया और अभिनिर्धारित किया कि यदि वाद में प्रस्तुत साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक अभियुक्त के दोष की ओर इशारा करता है, और दूसरा उसकी बेगुनाही की ओर, तो वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के अनुकूल है उसे अपनाया जाना चाहिए।

13. सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य, 2013 12 एससीसी 406 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को दोहराया है कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। जब तक उचित संदेह से परे दोषी सिद्ध न हो जाए तब तक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है।

14. यहां ऊपर चर्चा की गई विधि की पृष्ठभूमि में, हम आक्षेपित आदेश की वैधता और विधिमान्यता का परीक्षण करने के लिए विचारण न्यायालय के निष्कर्षों और विचारण के दौरान साक्षियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का परीक्षण करेंगे।

15. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया है। हम पाते हैं कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है। अभियुक्त-प्रत्यर्थियों की पहचान 2-3 माह पश्चात की गई और उन्हें इस वाद में फंसाया गया। अभियोजन साक्षियों ने उनकी पहचान नहीं की है। पी.डब्ल्यू.-2 ने इससे इनकार किया है कि लूटे गए सामान का बरामदगी फर्द उसके सामने बनाया गया था और कोई बरामदगी उसके सामने की गई थी। निरीक्षक ने उसे पुलिस थाने बुलाया था, जहां बरामदगी के फर्द पर उसके हस्ताक्षर लिए गए थे। अतः विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि अभियुक्तों से बरामदगी इस तरह से दिखाई गई थी, जो न्यायालय का विश्वास प्रेरित नहीं करती है और उसने सभी अभियुक्तों को संदेह का लाभ प्रदान किया है। विचारण न्यायालय ने वाद के विधिक पहलुओं पर पूरी तरह से विचार किया है और पाया है कि अभियुक्त प्रत्यर्थी संदेह का लाभ दिए जाने के पात्र हैं और उन्हें दोषमुक्त कर दिया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं बता सके। विचारण न्यायालय का निर्णय पूरी तरह से गुण-दोष पर आधारित है, इस न्यायालय को साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है।

17. अपील करने की अनुमति का यह आवेदन खारिज किया जाता है।

शासकीय अपील पर आदेश

18. चूंकि अपील करने की अनुमति का आवेदन खारिज कर दिया गया है, इसलिए, ऊपर उल्लिखित शासकीय अपील एतद्वारा खारिज की जाती है।

19. विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस किया जाए और इस निर्णय की सूचना विचारण न्यायालय को दो सप्ताह के भीतर दी जाए।

20 अगस्त, 2026

रोहित

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)